

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राज0, जयपुर
क्रमांक-डीसी-1/ए-3/सेल-जनरल /2015/ दिनांक

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
राजस्थान

विषय:- औषधि विक्रेताओं द्वारा दुकानों में गर्मी के मौसम में औषधि के रख रखाव के कम में ।

सन्दर्भ :- संगठन के परिपत्र क्रमांक:- डीसी-2/ए-3/सेल-जनरल/2014/469
दिनांक 24.06.14

महोदय,

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि आप को निर्देशित किया गया था कि गर्मी के मौसम में दोपहर के समय दिन का अधिकतम तापमान 40-45 C अधिक हो जाता है , जिससे जिन दवाओं को 30 C या इससे कम तापमान पर रखे जाने की आवश्यकता है उनकी गुणवत्ता प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है दुकानों में उपलब्ध रेफ्रिजरेटर के अन्दर का तापमान भी 2 C से 8 C के बीच होना आवश्यक है जिसकी समुचित रख रखाव हेतु सुनिश्चितता निरीक्षण के दौरान किया जाना अनिवार्य है ।


अतः आप सुनिश्चित करें कि आप के क्षेत्र की दवा दुकान पर प्रभावी रख रखाव की व्यवस्था हो रही है ।

343
9/7/15

प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0, जयपुर
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्य्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं समस्त संबंधितों को प्रेषित करने हेतु प्रेषित है ।

80
औषधि नियंत्रक
राज0, जयपुर


औषधि नियंत्रक
राज0, जयपुर